## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध प्र0क0 विविध-3172/2018/कटनी/भू.रा

1— शिवचरण, रामचरण पुत्रगण स्व0 शिमला भूमियां
2— सुन्दरबाई, केशरबाई पुत्रीगण स्व0 शिमला भूमियां
3— दुखीलाल, प्रहलाद वल्द किशोरी
निवासी चाका तहसील कटनी,
जला कटनी म0प्र0 ——— आवेदक

**विरूद्ध**

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला कटनी ——— अनावेदक

श्री ............ द्वारा आज दि0 24.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28.5.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 ( इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2542—एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 9—2—17 में संशोधन बावत ।**

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक कमांक 1 के पूर्वज शिमला वल्द स्व0 भिम्मा निवासी चाका तहसील कटनी द्वारा कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी कमांक 2542—एक / 16 पेश की गई थी !

2. यहकि, उक्त निगरानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9—2—17 को शिमला वल्द स्व. भिम्मा को उनके स्वामित्व की ग्राम चाका प0ह0नं0 23 रा0नि0मं0 मुडवारा—2 जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 50 / 2, 51 / 2, 53 / 1ख कुल रकबा 0.607 हैक्टर के विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

3. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत शिमला वल्द स्व. भिम्मा की मृत्यु हो गई है । मृतक शिमला के 3 पुत्र किशोरी, रामचरण और शिवचरण तथा 2 पुत्रियां सुन्दर बाई एवं केशरबाई हैं । जिनमें से एक पुत्र किशोरी की भी मृत्यु शिमला की मृत्यु के उपरांत हो गई है और किशोरी के वारिसान आवेदक कमांक 3 दुखीलाल एवं प्रहलाद हैं ।

4. यहकि, शिमला वल्द भिम्मा द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदित भूमि को

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - विविध/3172/2018/कटनी/भू0रा0

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05/6/18 | प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया आवेदकगण के पिता स्व0 शिमला पुत्र भूमियां को उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 2542-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 9-2-17 द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम चाका प0ह0नं0 23 रा0नि0मं0 मुडवारा 2 जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 50/2ए 51/2 एवं 53/1ख कुल रकबा 0.607 को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई थी परंतु क्रेता के पक्ष में विक्रयपत्र संपादित किए जाने के पूर्व ही शिमला की मृत्यु हो गई । शिमला के स्थान पर उसके वारिसों का नामांतरण होने के पूर्व ही उसके एक पुत्र किशोरी जिसके वारिस आवेदक क्रं0 3 हैं उसकी भी मृत्यु हो गई इस कारण अनुबंध ग्रहीता के पक्ष में विक्रयपत्रका निष्पादन नहीं हो सका । उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा आवेदकगण से विक्रयपत्र निष्पादित कराने अथवा अनुबंध राशि वापिस किए जाने की मांग की जा रही है परंतु आवेदकगण राशि वापिस करने की स्थिति में नहीं है। शिमला की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण का नाम वारिसाना आधार पर नामांतरण होने के उपरांत जब आवेदकगण विक्रयपत्र निष्पादित कराने हेतु पंजीयन कार्यालय गए तब उन्हें बताया गया कि जब तक राजस्व मंडल द्वारा शिमला के स्थान पर आवेदकों को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान नहीं की जाती तब तक विक्रयपत्र निष्पादित नहीं हो पायेगा । उक्त आधार पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा आवेदित भूमि को मृतक शिमला के स्थान पर आवेदकों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | किया गया । शासकीय अधिवक्ता को आवेदक अधिवक्ता के उक्त अनुरोध को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए न्यायहित में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 प्र0क्र0 2542-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 9-2-17 जिसके द्वारा शिमला वल्द भिम्मा को विक्रय की अनुमति दी गई है के स्थान पर मृतक शिमला के वारिसान (आवेदकगण) को ऊपर उल्लिखित आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है । आदेश में निर्धारित की गई अन्य शर्तें यथावत रहेंगी । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है ।<br><br>( एम. गोपाल रेड्डी )<br>प्रशा0 सदस्य | |